डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 243] रायपुर, शनिवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2001—आश्विन 28, शक 1923

गृह विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2001

अधिसूचना

क्रमांक गृह/सी/क्यू/2001.—राज्य शासन को सम्यक रूप से समाधान हो गया है कि श्री नंद कुमार बघेल द्वारा लिखित एवं प्रकाशित तथा प्रिंट हाउस रायपुर द्वारा मुद्रित पुस्तक "ब्राम्हण कुमार रावण को मत मारो" में उल्लेखित टिप्पणियों से वर्ग विशेष की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचना तथा उसके फलस्वरूप समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य द्वेष एवं संघर्ष भड़कने की आशंका है. समाचार पत्रों में विरोध स्वरूप वक्तव्य एवं समाचार भी प्रकाशित हुए हैं.

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 95 (एक) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उपरोक्त संदर्भित पुस्तक की प्रत्येक प्रतियों एवं संबंधित सामग्री को तत्काल प्रभाव से राजसात करने का आदेश देता है. उक्त आदेश के फलस्वरूप पुस्तक के विक्रय, वात्रन, उद्धहरण एवं संग्रहण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.